झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 64 वर्ष 2022

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री अमन कुमार
नया इलाका रैफ्यूजी बस्ती,
हमिदगंज, डालटनगंज, पलामू

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पलामू ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आवेदनकर्ता श्री अमन कुमार, नया इलाका रेफ्यूजी बस्ती हमिदगंज, डालटेनगंज, पलामू का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। जिसमें परिवादी द्वारा राशन डीलर श्री मो0 कासीम अंसारी, ग्राम–मझगवां, पंचायत–मझगवां, पो0–लमीपत्र, थाना–पंदवा, जिला–पलामू के विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैंः–

1. 5 कि0ग्रा0 राशन नहीं दिया जाता है।
2. अंगूठे का निशान लगवाकर राशन नहीं दिया जाता है।
3. राशन डीलर द्वारा विभागीय निर्देशों के अनुसार नोटिस बोर्ड भी नहीं लगाया गया है।

यह भी उल्लेखित है कि परिवादी द्वारा BSO को डीलर के खिलाफ लगे आरोपों की जानकारी भी दी गई है तथा BSO के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग द्वारा इसपर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को प्रतिवांदी बनाया जाय।

इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–28.12.2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–28.12.2022 अपराह्न 12:00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–64/2022

28.12.2022

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू उपस्थित। आज की सुनवाई डिजिटल माध्यम से की गई।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू का कहना है कि शिकायतकर्ता के आरोप की जाँच की गई एवं जाँच में आरोप सही पाया गया। आरोप सही पाए जाने के उपरांत राशन डीलर को निलंबित करते हुए शिकायतकर्ता/लाभुकों को नये राशन डीलर के साथ सम्बद्ध कर दिया गया।

आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को निर्देश देता है कि वे उन सभी लाभुकों को जिन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी, उन्हें शिकायत दर्ज करने के बाद से लेकर राशन डीलर के निलंबन होने तक की अवधि के अनाज की भरपाई खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में सवा गुणा अनाज नये राशन डीलर के माध्यम से 15 दिनों के अन्दर करवाना सुनिश्चित करें। 15 दिनों के अन्दर यदि जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग के निर्देश का अनुपालन का प्रमाण नहीं भेजा, तो इस वाद की कार्रवाई पुनः आरंभ करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई करने को आयोग बाध्य होगा।

इस आशय के निर्देश के साथ आयोग इस वाद को फिलहाल निस्तारित करता है।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx38